बीके अस्पताल के भ्रष्ट निकम्मे स्टाफ़ के विरुद्ध सिविल सर्जन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में **'कमीशनखोरी के चलते बीके अस्पताल से साधारण डिलिवरी भी रैफ़र कर दी जाती है'** शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें सोनिका नामक एक युवती अपने परिजनों के साथ 9 मई को प्रात: चार बजे बीके अस्पताल आई थी। ड्यूटी डॉक्टर मंजरी ड्यूटी से गैरहाजिर थी, उनकी अनुपस्थिति में पूजा नामक नर्स ने न तो किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत समझी और न ही डिलिवरी कराने का कोई प्रयास किया। इसकी बजाय उसने कमीशनखोरी के चक्कर में युवती को सेक्टर आठ स्थित गोयल नर्सिंग होम को रैफर कर दिया तथा नर्सिंग होम को फ़ोन करके अपना कमीशन भी पक्का कर लिया।

इन गरीबों के पास वहां देने को 40 हजार रुपये न थे तो वे बल्लबगढ़ के एक छोटे से क्लीनिक में पहुंच गये और 11 हजार रुपये देकर साधारण डीलिवरी करा ली। मामले को प्रकाशित किये जाने से पूर्व बीके अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर सविता का पक्ष जानने का भी प्रयास किया था लेकिन वे उपलब्ध न हुईं। बाद में सीविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता को जब सारा मामाला बताया गया तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब स्पष्ट है कि चाहे पीएमओ हों चाहे सीएमओ हों, सबकी मिलीभगत से ही अस्पताल के अंदर कमीशनखोरी को मोटा धंधा चल रहा है तथा रात की ड्यूटी से डॉक्टर गायब रहते हैं।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने अस्पतालों में बेहतरीन सेवायें प्रदान करने का जो खोखला दावा पेश करते हैं उन्हें अवश्य ही इस तरह के घपलों की ओर ध्यान देना चाहिये। तथा दोषियों के खिलाफ़ उचित कार्रवाई करनी चाहिये ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके।

ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की कैद, 50 लाख जुर्माना व चार संपत्तियां जब्त

28 महीने और जेल की हवा खानी पड़ेगी

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर कई वर्षों से चल रहे, आय से अधिक संपत्ति मामले में दिनांक 27 मई को अदालत ने सज़ा सुना दी। इस मामले में अधिक से अधिक पांच साल की सज़ा का प्रावधान है। कोर्ट ने उन्हें चार साल कैद व 50 लाख जुर्माने की सजा के अलावा उनकी पंचकूला, दिल्ली, व गुड़गांव स्थित चार संपत्तियां भी जब्त करने का आदेश दिये हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन्हें अब केवल 28 महीने जेल में गुजारने होंगे। शेष 20 महीने की कैद पिछली सजा के साथ एडजस्ट कर दी गयी है। क्योंकि जब वे शिक्षक भर्ती मामले में जेल चले गये थे तो उन्होंने इस मामले में अपनी जमानत रद्द करवा ली थी, इसलिये यह सज़ा भी उसी के साथ-साथ कट गई थी। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला उनके दोनों पुत्रों अजय व अभय के विरुद्ध भी कायम किया गया था। लेकिन दोनों पुत्रों ने तकनीकी तौर पर अपने-अपने मुकदमे अपने पिता से अलग करवा लिये थे। इसलिये उनके फैसले बाद में किसी समय आ सकते हैं।

बिजली कर्मचारी यूनियन का त्रिवार्षिक चुनाव

फरीदाबाद (म.मो.) हरियाणा प्रदेश बिजली कर्मचारी यूनियन के चुनावों की श्रृंखला में 26/5/2022 को यहां भी चुनाव सम्पन्न हुआ। चुवान अधिकारी सतीश छाबड़ी के उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया सेक्टर 58 के इंडस्ट्रियल सब-डिविजन में सम्पन्न हुई। इस चुनाव द्वारा प्रधान पद पर सुधीर कौशिक, उपप्रधान पद पर सोमदत्त शर्मा, सचिव पद पर मनोहर, महासचिव पद पर भूपेन्द्र सिंह, कैशियर पद के लिये परिपूर्णानंद को चुना गया।

महर्षि कश्यप जयंती पर खट्टर ने किया बड़ा राजनीतिक जमावड़ा

करनाल (म.मो.) कमेरे वर्ग को जाति व धर्म में बांट कर राजनीति करने वाली भाजपा की खट्टर सरकार ने स्थानीय अनाजमंडी में 24 मई को जनसभा का आयोजन किया। इसमें स्थानीय सांसद संजय भाटिया, कुरूक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया, इन्द्री के विधायक राम कुमार कश्यप, विधायक महिपाल ढांडा, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा आदि के अलावा अनेकों छुटभैये नेता भी समारोह में उपस्थित थे। कश्यप जाति के लोगों में अपनी पैंठ जमाने के उद्देश्य से खट्टर ने न केवल महर्षि कश्यप की बढ़-चढ़ कर प्रशंसा करते हुए उनके नाम पर कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीठ स्थापित करने की घोषणा की, बल्कि कई तरह के अनुदान देने की भी घोषणा की। समाज की चार धर्मशालाओं को 11-11 लाख रुपये का अनुदान तथा डीसी कॉलोनी के चौराहे पर महर्षि कश्यप की मूर्ति स्थापित करने तथा राजकीय महाविद्यालय जुंडला भी उनके नाम पर स्थापित किया जायेगा।

जाति के नाम पर विभिन्न प्रकार के लोभ-लालच देकर बुलाई गई इस तरह की भीड़ के सामने यदि भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी के कसीदे न पढे जायें तो सब बेकार है। इस अवसर को बेकार न जाने देने के लिये तमाम उपस्थित नेताओं ने बिना किसी कौमा व फुलस्टॉप के जम कर झूठ के पकौड़े तले। जातिगत राजनीति करने वाले एवं जातीय वोट बैंक को भुना कर निजी हित लाभ कमाने वाले चंद शातिर नेताओं के अलावा किसी भी साधारण कश्यप को इस सरकार से किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तमाम जातियों की तरह इन्हें भी महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी एवं अभावों से जूझना होगा।

आज कश्यप जाति को बहला-फुसला कर भाजपा ने अपने जाल में फांसने का प्रयास किया है तो कल को, एक-एक करके अन्य जातियों के भी इसी तरह के सम्मेलन करके उन्हें भी फांसने का प्रयास किया जाता रहेगा। मकसद केवल इतना है कि इन तमाम जातियों के लोग एक जुट होकर अपनी साझा समस्याओं के लिये इस सरकार के विरुद्ध कोई बड़ा आन्दोलन खड़ा न कर सके।

दानवीर कर्ण की पावन नगरी में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए करनाल की प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था निर्मल कुटिया की ओर से लंगर व जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सांसद संजय भाटिया, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण व मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल के साथ लंगर में प्रसाद ग्रहण किया।

महर्षि कश्यप जयंती के राज्य स्तरीय समारोह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह 9 बजे से ही अपने-अपने वाहनों व पैदल लोग अनाज मंडी में लगे पंडाल में पहुंचना शुरू हो गए थे। मुख्यमंत्री के आने तक पंडाल खचा-खच भीड़ से भर गया। यहां तक की पंडाल के पास में लगे लंगर हाल तक चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी।

ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे श्रद्धालु

करनाल की नई अनाज मंडी में आयोजित समारोह के पंडाल में ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दूर-दूर जहां तक नजर जा रही थी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा नाचते हुए पंडाल तक आ रहे थे। लोग अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। मौसम ने भी इस कदर मेहर की कि पूरा कार्यक्रम बादलों की छांव में संपन्न हुआ।

सेक्टर-37 अग्नि हत्याकांड : पूंजीपति अपने मुनाफे की हवस में रोज मजदूरों को मौत के घाट उतार रहे हैं

फरीदाबाद (म.मो.) 21मई 2022 को सुबह 11.00 बजे यूजी सेल कम्पनी, प्लॉट न 303, सैक्टर-37 में आग लगने से तीन मजदूरों की मौत हो गई है। और एक मजदूर गम्भीर रूप से घायल है। इस कम्पनी का मालिक का नाम अजय गुप्ता है। लिथियम बैटरी के सेल बनते हैं। जो गाड़ियों में लगाया जाता है। वहां जाकर पता चला कि आग लगने से दो दिन पहले भी एक बैटरी में आग लग गई थी जो बाहर फेक बुझाई गई। भीषण गर्मी की इसकी वजह बताया जा रहा है।

इस तरह हर साल गर्मियों में काम करते हुए बैटरी में आग लग जाती थी। उसे बुझा देते थे। कम्पनी मालिक से मजदूर कहते थे कि सुरक्षा का इंतजाम करिये वो सुनने को राजी नहीं था। आज जब भयंकर आग लग गई तो अफरा-तफरी में मजदूर कूद कर भागने लगे व चिल्लाने लगे। कई ने तो छत से कूद कर जान बचाई। घुटन व धुंआ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 3 मजदूर सुनील, सतवीर व अंकित बाथरूम में जा छिपे लेकिन भयंकर आग की लपटों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक अमृत नाम का मजदूर गम्भीर रूप से से घायल हैं।

इस तरह की घटनाओं में मजदूरों की मौत रोज हो रही है। कम्पनी मालिक के मुनाफे की हवस का शिकार मजदूर रोज बनता जा रहा है। 13 मई को मुडंका दिल्ली के कम्पनी में आग लगने से 30 से अधिक मजदूरों की जान चली गई। 18 मई को गुजरात के मोर्बी जिले में नमक बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते वक्त दीवार गिरने से 12 मजदूर दब कर मर गये।

ऐसे घटनाएँ होने के कारण यह है कि सरकार पूंजीपतियों को सुरक्षा मानकों के मापदंडों में लगातार छूट दे रही है। अब तो नियम और बदल गये हैं। अब फैक्ट्री या कम्पनी मालिक ही अपने द्वारा सरकार को सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है, इस सर्टिफिकेट को देगें। छोटी हो चाहे बड़ी हो पहले सरकार द्वारा फैक्ट्री की बिल्डिंग का निरीक्षण से लेकर मजदूरों को दिये जाने वाले सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया जाए।

सरकार द्वारा सुरक्षा मानकों में पूरी तरह से ढील देने के चलते मालिकान के मुनाफे तो बढ़ गये लेकिन इसके साथ ही मजदूरों की मौत के द्वार भी खुल गए।